प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 11.07.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी करने वाले 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10,000-10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना बसरेहर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी करने वाले 04 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10,000-10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 07.06.2014 को वादी अनिल कुमार पुत्र जगदीप सिंह निवासी नौरंगाबाद थाना कोतवाली द्वारा थाना सिविल लाइन पर अपनी मोटर साइकिल चोरी के संबंध में सूचना दी जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 458/14 धारा 379/411/413/414/420** बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 विवेक कुमार द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार का0 मुकेश एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 11.07.2024 को अभियुक्त सचिन यादव, सचिन कुमार, राजीव कुमार को अन्तर्गत धारा 379/411 भादवि तथा अभियुक्त रवि को अन्तर्गत धारा 411 भादवि में मा0 न्यायालय ADJ -9 इटावा द्वारा प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10,000-10,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **सचिन कुमार यादव पुत्र अशोक कुमार यादव निवासी ग्राम भगुलाई थाना अछल्दा जनपद औरैया।**
2. **सचिन कुमार पुत्र केदार सिंह निवासी पासीपुर थाना अछल्दा औरैया।**
3. **राजीव कुमार पुत्र सूरज सिंह निवासी सुतियानी ऊसराहार जनपद इटावा।**
4. **रवि पुत्र सूबेदार निवासी अकबरपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा।**